कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

अपील संख्या 27/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री गणेश राज पुत्र श्री राम प्रसाद अग्रवाल आई–273, सिविल लाईन, हनुमानगढ जंक्शन तह0 व जिला हनुमानगढ।

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ।

---प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांकः–18.05.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2018 से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से सूचना चाही गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नही करवाई गई है। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पत्रांक 246 दिनांक 17.4.2018 से दिया गया जबाव से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील सूचना दिलवाये जाने हेतु की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से पत्र कमांक 588 दिनांक 02.05.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र कमांक 588 दिनांक 02.5.2018 के साथ संलग्न पत्र कमांक 542 दिनाक 24.04.2018 का अवलोकन करने से उनके द्वारा बिन्दु सं0 1 की सूचना अपीलार्थी को भिजवाया जाना तथा बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ को पत्र कमांक 411 दिनांक 23.3.2018 द्वारा अंतरित करते हुए जिसकी सूचना अपीलार्थी को दिया जाना पाया गया। अपील के साथ सलंग्न उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के पत्र कमांक 246 दिनांक 17.04.18 का अवलोकन करने से उनके द्वारा बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबंध में अपीलार्थी को सूचना दी जा चुका है। अपीलार्थी का अपील में यह कथन अंकित करना कि उपखण्ड अधिकारी के जबाव से असन्तुष्ट है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार आवेदन तिथि को अभिलेखो में जो सूचना जिस रूप में उपलब्ध होती है उसी रूप में ले सकता है। सूचना कीयट (Create) कर उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नही है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी को इस अपील मे कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ